न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 94/अ-20(3)/2023-24

आदेश

(दिनांक [illegible] नवम्बर 2024 को पारित)

--00--

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 16/01/2024 प्रस्तुत कर ग्राम मारूबर्डिया तहसील बडौद स्थित की कुल भूमि **87.09** हेक्टेयर भूमि में से **51.82** हेक्टेयर भूमि की मांग धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। ग्राम मारूबर्डिया की आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)
1	1	34.020	25.90
2	75	07.190	05.20
3	57	10.730	10.72
4	55	35.150	10.00
	कुल किता 4	**87.09 हेक्टेयर**	**51.82** हेक्टेयर

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार से करवायी गयी। नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। प्रकरण में विधिवत विज्ञप्ति जारी की गई। कार्यलयीन पत्र क्रमांक/री/2024/137 मारूबर्डिया दिनांक 04.04.2024 से संबंधित विभाग को जत्र जारी कर आपत्ति/अनापत्ति हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग आगर मालवा द्वारा पत्र क्रमांक 103/तक./2024-25 आगर दिनांक 05.04.2024 , म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं. लिमि. जयसिंहपुरा का पत्र क्रमांक/कं.यं./जयसिंहपुरा/कार्य./2023-24/41 दिनांक 15.04.2024 ,अनुविभागीय अधिकारी (वन) परिक्षेत्र आगर मालवा वन मंडल शाजापुर द्वारा पत्र क्रमांक/2024/639 आगर मालवा दिनांक 20.04.2024 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया एवं संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं ग्राम पंचायत मारूबर्डिया द्वारा कोई आपत्ति/अनापत्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।प्रकरण में पटवारी ग्राम बीजानगरी जांच प्रतिवेदन लिया गया। जिसमें पटवारी ग्राम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मारूबर्डिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1 रकबा 34.02 हे. में से रकबा 25.90 हे., 55 रकबा 35.15 हे. में से 10.00 हे., 57 रकबा 10.72 हे., 75 रकबा 7.19 हे. में से रकबा 5.20 हे. कुल किता 04 कुल रकबा 87.08 हे. में से 51.82 हे. भूमि के संबंध में नजूल निर्वर्तन नियम 2020 के प्रावधानों के तहत प्राप्त किया गया।सर्वे क्रमांक 1 जिसमें वर्तमान में उत्तर में ग्राम पंचायत मारूबर्डिया द्वारा वृक्षारोपण कर छोटी-छोटी गढढेनुमा डबरी खोदकर मौके पर कब्जा है एवं तालाब लगभग 1.60 हे. पर स्थित है।सर्वे क्रमांक 55 में तालाब लगभग 10.00 हे.

स्थित है तथा 0.40 हे. मे शमशान स्थित है व 0.21 हे. में आवास योजना, 1.00 हे. में शासकीय भवन हेतु 0.30 हे. में गौठान, 0.10 हे. में मृत मवेशियों का चमड़ा निकालने हेतु सुरक्षित है।ग्राम मारूबर्डिया का भौगोलिक क्षेत्रफल 673.75 हे. भूमि है। शामिल जोत का रकबा 475.09 हे. भूमि है। अलावा जोत का रकबा 9.54 हे. भूमि है। शामिल जोत के मान से 2 प्रतिशत चरनोई का रकबा 9.50 हे. बनता है। भूमि आवंटन से गौचर का रकबा प्रभावित नही होगा। उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने का उल्लेख किया गया है। कुल प्रस्तावित रकबा 51.82 हे. भूमि का कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 के अनुसार ग्राम मारूबर्डिया की सिंचित भूमि 10,66,400/- (दस लाख छियासठ हजार चार सौ रूपये) प्रति हे. के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 08,84,17,356/- (आठ करोड़ चौरासी लाख सत्रह हजार तीन सौ छप्पन रूपये) होना लेख किया गया है। वन विभाग, आगर-मालवा मप्र शासन को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि आवंटन किया जाना प्रस्तावित होना प्रतिवेदित किया गया है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत ग्राम मारूबर्डिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1 रकबा 34.02 हे. में से रकबा 25.90 हे., 55 रकबा 35.15 हे. में से 10.00 हे., 57 रकबा 10.72 हे., 75 रकबा 7.19 हे. में से रकबा 5.20 हे. कुल किता 04 कुल रकबा 87.08 हे. में से 51.82 हे. भूमि नजूल निर्वर्तन नियम 2020 के प्रावधानों की कण्डिका 49 एवं 142 के तहत भूमि आंवटन किया जाना उचित होगा। नायब तहसीलदार ने प्रकरण अनुशंसा सहित उपखण्ड अधिकारी आगर- बड़ौद जि को प्रेषित किया गया । उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 . को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया । जिसमें ग्राम मारूबर्डिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1 रकबा 34.02 हे. में से रकबा 25.90 हे., 55 रकबा 35.15 हे. में से 10.00 हे., 57 रकबा 10.72 हे., 75 रकबा 7.19 हे. में से रकबा 5.20 हे. कुल किता 04 कुल रकबा 87.08 हे. में से 51.82 हे. भूमि को धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।

4/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम मारूबर्डिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1 रकबा 34.02 हे. में से रकबा 25.90 हे., 55 रकबा 35.15 हे. में से 10.00 हे., 57 रकबा 10.72 हे., 75 रकबा 7.19 हे. में से रकबा 5.20 हे.

कुल किता 04 कुल रकबा 87.08 हे. में से 51.82 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु **वन विभाग** को मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021अनुसार ग्राम मारूबर्डिया तहसील बडौद स्थित कुल किता 4 कुल रकबा 87.08 हे. में से 51.82 हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 08,84,17,356/- (आठ करोड़ चौरासी लाख सत्रह हजार तीन सौ छप्पन रूपये) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेंगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेंगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संर्वधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होंगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेंगा।

5/ नायब तहसीलदार बीजानगरी , की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि की प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल तत्काल इस न्यायालय को भिजवायें।

22/11/24

(राघवेन्द्र सिंह)
कलेक्टर
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)
जिला आगर मालवा म.प्र.

क्रमांक/रीडर/2024/ 470
आगर मालवा, दिनांक 22 /11/2024

प्रतिलिपि :-

1. वनमंडलाधिकारी वनमंडल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार बीजानगरी, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल कराये तथा खसरा नकल तत्काल इस न्यायालय को भिजवायें।

22/11/24

कलेक्टर
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)
जिला आगर मालवा म.प्र.

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:मारुबर्डिया			पटवारी हल्का:मारूबर्डिया			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611836537 81QLJ5D8U4E7H0	1/1 (S)		25.9000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0094/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 22/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:मारुबर्डिया			पटवारी हल्का:मारूबर्डिया			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1612077401 81QELLD8U44JH0	55/7 (S)		10.0000 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0094/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 22/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

रु.0.00

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:मारुबर्डिया			पटवारी हल्का:मारूबर्डिया			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611836447 81QDGMD8U1GBH0	57/1 (S)		10.7200 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0094/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 22/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्रपत्र एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:मारुबर्डिया			पटवारी हल्का:मारूबर्डिया			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611836561 81QBZZD8U41NH0	75/1 (S)		5.2000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0094/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 22/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट